तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/3/15	पत्रा. पेश [illegible] [illegible] [illegible] शामिल पत्रा. की पत्रा. [illegible] [illegible] सहायक कलक्टर [illegible] जिला भरतपुर	

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान उम्मेदसिंह बनाम गुमानसिंह

मुकदमा नंबर 8/2020

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दढ व .... मिनजानिब मुददालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादीगण संख्या 1 लगायत 3 को विवादित आराजी खसरा नंबर 376 रकबा 0.44 हैक्टेयर वाके ग्राम बझैरा तहसील नदबई मे से 7/44 हिस्से पर व हिस्सा बराबर तथा वादीगण स. 4 व 5 को खसरा नम्बर 376/0.44 वाके ग्राम बझैरा तहसील नदबई पर7/44 हिस्से पर वा हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी ख.न. 376 पर प्रतिवादी स. 1, 1/4 हिस्से के स्थान पर 4/44 हिस्से का तथा प्रतिवादी स. 2 व 3 1/8, 1/8, हिस्से के स्थान पर 2/44, 2/44 हिस्से के खातेदार रहेगें। तथा प्रतिवादी स. 1 के नाम के 1/4 हिस्से पर व प्रतिवादी स. 2 0 3 के नाम 1/8, 1/8 हिस्से पर वाहिद इन्द्राज खातेदारी को कलमजन किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे

बैज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तारीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

ह दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 28.05.2024 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत——————
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

28/5/24
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

1. उम्मेदसिंह पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तह. नदबई जिला भरतपुर।
2. तेजसिंह पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तह. नदबई जिला भरतपुर।
3. माधवसिंह पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तह. नदबई जिला भरतपुर।
4. बलवीर पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तह. नदबई जिला भरतपुर।
5. लक्ष्मण पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तह. नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. गुमानसिह पुत्र सम्मत उर्फ सम्पती जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तह. नदबई जिला भरतपुर।
2. गौरव पुत्र दिलीपसिंह जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तह. नदबई जिला भरतपुर।
3. सौरव पुत्र दिलीपसिंह जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तह. नदबई जिला भरतपुर।
4. साहबसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तह. नदबई जिला भरतपुर।
5. मैनेजर बडोदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बांसी खुर्द।
6. मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नदबई।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

28/5/24
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 8/2020

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2020/00012

किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक 28.05.2024

1. उम्मेदसिंह पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तह. नदबई जिला भरतपुर।
2. तेजसिंह पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तह. नदबई जिला भरतपुर।
3. माधवसिंह पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तह. नदबई जिला भरतपुर।
4. बलवीर पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तह. नदबई जिला भरतपुर।
5. लक्ष्मण पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तह. नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. गुमानसिह पुत्र सम्मत उर्फ सम्पती जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तह. नदबई जिला भरतपुर।
2. गौरव पुत्र दिलीपसिंह जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तह. नदबई जिला भरतपुर।
3. सौरव पुत्र दिलीपसिंह जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तह. नदबई जिला भरतपुर।

28/05/24

4. साहबसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तह. नदबई जिला भरतपुर।
5. मैनेजर बडोदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बांसी खुर्द।
6. मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नदबई।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री फूलसिंह एड.(वादी की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188आर.टी.ए.

1. यह कि वादी एंव प्रतिवादीगण वाद के लिए पूर्ण सक्षम व्यक्ति है कोई भी सख्त नाबालिग नही है।
2. यंह कि आराजी खसरा नंबर 373 रकबा 0.14, 374 रकबा 0.14, 375 रकबा 0.16 कुल किता 3 कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 376 रकबा 0.44 हैक्टेयर वाके ग्राम बझेरा तहसील नदबई में स्थित है। जिस पर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 तथा 4 व 5 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 खातेदार की तरह काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सम्पति ने साबिक खसरा नंबर 301 में से 1/2 हिस्से को जरिए रजि. वयनामा दिनांक 21.5.2003 को विक्रय कर दिया था जबकि उक्त आराजी में वादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता 1/3 हिस्से पर व वादीगण संख्या 4 व 5 के पिता राजाराम 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के बाबा सम्पति 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से के सहखातेदार व काबिज थे। तथा सभी का वाहिस्सा बराबर कब्जा व खातेदारी थी।
3. यह कि सैटलमेंट संवत 2028 के भूप्रबंध विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने गलती से बनाए गए नवीन खसरा नंबर 301 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा पर न्यारानूर सम्पत उर्फ सम्पति पुत्र उम्दी के नाम न्यारानूर खातेदारी कर दी तथा वादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता रघुनाथ व वादीगण संख्या 4 व 5 के पिता राजाराम के नाम खसरा नंबर 300 रकबा

28/05/24

1 बीघा 15 बिस्वा पर वाहिस्सा बराबर की खातेदारी कर दी जिससे वादीगण हिस्सा कम हो गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता सम्पत उर्फ सम्पति एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के बाबा सम्पति के नाम वेशी खातेदारी दे दी जिसका सैटलमेंट के अधिकारियों व कर्मचारियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण सैटलमेंट संवत 2060 द्वारा बनाए गए नवीन खसरा नंबर 376 रकबा 0.44, प्रतिवादीगण असल संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से में से 0.14 हैक्टेयर पर अपने आपको वादीगण संख्या 1 लगायत 3, 1/2 हिस्से पर तथा वादीगण संख्या 4 व 5 अपने आपको वाहिस्सा बराबर 1/2 हिस्से पर खातेदार व काबिज घोषित करा पाने के अधिकारी हैं। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम चले आ रहे खातेदारी के इन्द्राजात को 0.14 हैक्टेयर से कलमजन करा पाने के अधिकारी हैं।

4. यह कि साबिक खसरा नंबरान 300 व 301 सैटलमेंट संवत 2028 के पूर्व खसरा नंबर 286 मिन 2 बीघा 15 बिस्वा व 286 मिन 2 बीघा 15 बिस्वा से बनाए गए हैं तथा उक्त साबिक खसरा नंबर 300 व 301 वाके ग्राम बझेरा से नवीन खसरा नंबरान 374 रकबा 0.14, 375 रकबा 0.16, 376 रकबा 0.44, 373 रकबा 0.14 वाके ग्राम बझेरा बनाए गए हैं।
5. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 वादपत्र वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की पुश्तैनी आराजी हैं
6. यह कि सैटलमेंट संवत 2028 द्वारा प्रतिवादीगण के पिता व बाब सम्पत उर्फ सम्पति के नाम विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 वादपत्र की साबिक आराजी पर दिए गए वेशी इन्द्राजात के आधार पर प्रतिवादगण संख्या 1 लगायत 3 ने व मुकाब ग्राम बझेरा व ग्राम नगला मिर्चुआ पर वादीगण को दिनांक 05.12.2019 को यह एलानियां धमकी दी कि वे विवादित आराजी के हाल खसरा नंबर 376 को किसी दीगर व्यक्ति को रहनवयमुन्तकिल करके रहेंगे तथा वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल करके रहेंगे। अगर प्रतिवादीगण उक्त धमकी में कामयाब हो गए तो वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद से नहीं हो

24|5|24

सकेगी। अतः वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं।

7. यह कि वादीगण संख्या 1 लगायत 3 को विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 वादपत्र की आराजी खसरा नंबर 376 रकबा 0.44 हैक्टेयर के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से में से 0.14 हैक्टेयर के 1/2 हिस्से पर, वादीगण संख्या 1 लगायत 3 व वादीगण संख्या 4 व 5 को उक्त खसरा नंबर 376 के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के 1/2 हिस्से में से 0.14 हैक्टेयर के 1/2 हिस्से पर खातेदारी दी जावे। तथा प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 के खसरा नंबर 376 वाके ग्राम बझेरा के 1/2 हिस्से में से उन्हें 0.14 हैक्टेयर की आराजी से राजस्व रिकार्ड में कलमजन किया जावे।

8. यह कि स्थाई निषेधाज्ञा वाहकवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण विवादित खसरा नंबर 376 रकबा 0.44 हैक्टेयर के 1/2 हिस्से को किसी दीगर व्यक्ति को रहनवयमुन्तकिल न करे व वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल न करें।

9. यह कि वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। इनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुये तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं पत्रावली साक्ष्यवादी नियत की गई।

10. वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजों के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2076–2079 वाके ग्राम बझेरा, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 व 2060 वाके ग्राम बझेरा, नकल जमाबंदी संबत 2022 वाके ग्राम बझेरा, नकल इंतकाल रजिस्टर वाके ग्राम बझेरा, नकल मिशल बंदोबस्त संवत 2060–2063, नकल जमाबंदी संवत 2019–2022, नकल रजिस्टर्ड वयनामां दिनांक 21.05.2003 फोटोप्रति पेश की गई एवं मौखिक बयान के रूप में माधवसिंह पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ पेश किए गए। प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेज एवं साक्ष्य के रूप में किसी भी प्रकार का मौखिक व साक्ष्य पेश नहीं किए गए है।

28/5/24

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादपत्र में दर्ज विवादित आराजी खसरा नंबर 373 रकबा 0.14, 374 रकबा 0.14, 375 रकबा 0.16 किता 3 कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 376 रकबा 0.44 हैक्टेयर वाके ग्राम बझेरा तहसील नदबई पर स्थित है । उक्त विवादित आराजीयात पर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 व 4 व 5 तथा प्रतिवादी संख्या असल 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जो कि प्रदर्श 1 व 2 से साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 व 2060 जो कि प्रदर्श 3 व 4 से नवीन एवं गत खसरा नंबरान का मिलान हो रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता संपत ने साबिक खसरा नंबर 301 में से 1/2 हिस्से को जरिए रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 21.05.2003 को विक्रय साहब सिंह पुत्र हजारी सिंह को किया गया जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत नकल वयनामा फोटोप्रति से साबित है। उक्त विवादित आराजी में वादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता रघुनाथ 1/3 हिस्से पर तथा वादीगण संख्या 4 व 5 के पिता राजाराम 1/3 हिस्से पर एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता संपत तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के बाबा संपत 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड थे जो कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से साबित है। संवत 2028 के भूप्रबंधक विभाग द्वारा बनाए गए नवीन खसरा नंबर 301 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा पर भूप्रबंध विभाग द्वारा उक्त खसरा नंबर 301 रकबा 5 बिस्वा पर न्यारानूर आराजी संपत उर्फ संपत्ति पुत्र बुद्धी के नाम खातेदारी कर दी गई तथा वादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता रघुनाथ व वादीगण संख्या 4 व 5 के पिता राजाराम के नाम खसरा नंबर 300 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा पर वाहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज कर दी गई जिससे वादीगण का रकबा कम हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता संपत उर्फ संपत्ति एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के बाबा संपत्ति के नाम बेशी खातेदारी दे दी गई इस प्रकार सैटलमेंट विभाग द्वारा उक्त किए गए रकबा कम करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। सैटलमेंट विभाग द्वारा बनाए गए नवीन खसरा नंबर 376 रकबा 0.4 के प्रतिवादीगण संख्या असल 1 लगा0 3 के हिस्से में से 0.14 हैक्टेयर पर

28/5/24

वादीगण संख्या 1 लगा0 3 1/2 हिस्से पर व वादीगण संख्या 4 व 5 को वाहिस्सा बराबर 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवादित आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात है जो कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत बयान माधवसिंह पुत्र रघुनाथ सिंह जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ पेश किए गए जो वादी के वादपत्र को ताहीद करता है तथा प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए और न ही साक्ष्य पेश किए अतः वादी का वादपत्र काबिल डिक्री के है।

अतः आदेश है कि वादीगण संख्या 1 लगायत 3 को विवादित आराजी खसरा नंबर 376 रकबा 0.44 हैक्टेयर वाके ग्राम बझैरा तहसील नदबई मे से 7/44 हिस्से पर व हिस्सा बराबर तथा वादीगण स. 4 व 5 को खसरा नम्बर 376/0.44 वाके ग्राम बझैरा तहसील नदबई पर7/44 हिस्से पर वा हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी ख. न. 376 पर प्रतिवादी स. 1, 1/4 हिस्से के स्थान पर 4/44 हिस्से का तथा प्रतिवादी स. 2 व 3 1/8, 1/8, हिस्से के स्थान पर 2/44, 2/44 हिस्से के खातेदार रहेगें। तथा प्रतिवादी स. 1 के नाम के 1/4 हिस्से पर व प्रतिवादी स. 2 व 3 के नाम 1/8, 1/8 हिस्से पर वाहिद इन्द्राज खातेदारी को कलमजन किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

28/5/24
(गंगाधर मीना R.A.S.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर नदबई
नदबई जिला भरतपुर